

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4052/2026**

छोटे लाल आवेदक(ओं)

बनाम

सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य ,.....

विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	प्रवीण सिंह
विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप कुमार और श्री अश्वनी कुमार द्वारा दायर वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. यह जमानत आवेदन, आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 38/2025, अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- लालगंज, जिला रायबरेली में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका यह भी कहना है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक की भूमिका विक्रेता और क्रेता दोनों को लेन-देन में सुविधा प्रदान करने की है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक पहले भी एक मामले में फंसाया गया था, जिसमें वह जमानत पर है। अन्य सह-आरोपी, भरत उर्फ भरत लोध और पप्पू उर्फ मोहम्मद जुबैद को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5481/2025 और 5634/2025 में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक 16.04.2026 से जेल में है, वह कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तैयार है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक ने शिकायतकर्ता को संपत्ति खरीदने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि आवेदक की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के दलीलों पर विचार करते हुए और जमानत आवेदन की सामग्री के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक सामग्री को देखते हुए, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आवेदक प्रेरक है। अन्य

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सह-आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है।

7. जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **छोटे लाल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक किसी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

10. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करे।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

12 जून, 2026

अर्पण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।